न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या— 90/2019
52/2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम प्रेम कुमार झा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
29/01/2020	**आदेश**	

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक—363/म0नि0को0, दिनांक—16.04.2019 से प्राप्त कुशेश्वरस्थान (तिलकेश्वर ओ0पी0) थाना कांड सं0—47/18 दिनांक 02.03.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम—2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन हीरो होण्डा पैसन मोटरसाईकिल निबंधन सं0—BR07K-9767 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त थाना कांड में जब्त वाहन के राज्यसात् हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 123/म0नि0को0 दिनांक 05.02.2019 से भी प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त है, जिसके आलोक में उत्पाद वाद सं0—52/2019 संचालित है, जिसे इस वाद के साथ एकीकृत किया गया है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी हेतु थाना क्षेत्र में सशस्त्र बल के साथ भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। जब 81 नम्बर रोड पर पहुँचा तो एक मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसका पीछा कर पकड़ा गया। उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष पकड़ाये व्यक्ति छोटू यादव का नियम का पालन करते हुए तलाशी लिया गया तो उसके पास से गमछा में रॉयल स्टैग क्लासिक व्हिस्की फोर सेल इन हरियाणा ओनली दो बोतल 375*ml* का सीलबंद पाया गया। पकड़ाये व्यक्ति से पूछताछ करने पर बतलाया गया कि उक्त शराब समस्तीपुर से लाया गया है। तत्पश्चात् शराब एवं मोटरसाईकिल को विधिवत् जब्त किया गया। बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त के द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि समस्तीपुर से शराब लाये हैं। अतः जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम—2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त मोटरसाईकिल का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। विपक्षी वाहन स्वामी कारण पृच्छा दाखिल करने के पश्चात् इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। न्यायहित में कारण पृच्छा का अवलोकन

किया। कारण पृच्छा में अंकित किया गया है कि उक्त थाना कांड से कोई लेना–देना नहीं है। उक्त थाना कांड में जब्त मोटरसाईकिल उन्होंने वर्ष–2016 में ही संजय केसरी, पेसर श्री गंगा पासवान, ग्राम नरकटिया, थाना–जमालपुर, जिला–दरभंगा को उचित राशि प्राप्त कर हस्ताक्षर करते हुए शपथ पत्र निष्पादित कर नये वाहन मालिक श्री संजय केसरी को सारा कागजात सुपुर्द कर दिया गया था। उक्त वाहन से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। इसलिए न्यायालय द्वारा राज्यसात् किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह स्पष्ट है कि परिवहन कार्यालय के अनुसार वाहन स्वामी अभी भी प्रेम कुमार झा हैं और उन्हेंने इस वाहन से कोई सरोकार नहीं है बताया गया है। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त वाहन को विमुक्त करने हेतु दावा भी नहीं किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में कुशेश्वरस्थान (तिलकेश्वर ओ0पी0) थाना कांड सं0–47 / 18 दिनांक 02.03.2018 में जब्त वाहन हीरो होण्डा पैसन निबंधन सं0–BR07K-9767 को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा